राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8(ग)(105)नियम/डीएलबी/22/9220 जयपुर,दिनांकः 5/8/22

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 107 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)( )नियम/ डीएलबी/15/9400 दिनांक 24.04.2017 में उल्लेखित भूतपूर्व सैनिको के किसी शहर में दो मकान है, उनमे से एक मकान यदि नगरीय विकास कर के भुगतान से छूट की श्रेणी में है और दूसरा मकान नगरीय विकास कर के दायरे में आता है तो भी अधिसूचना दिनांक 24.04.2017 के अन्तर्गत जो दूसरा मकान कर के दायरे में आता है, जिसमें वे निवास करते है एवं मकान का आंशिक भाग किराये पर दिया हुआ हो, उसे नगरीय विकास कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक प.8(ग)(105)नियम/डीएलबी/22/9221-9691 दिनांकः 5/8/22
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
5. आयुक्त/उपायुत/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
8. समस्त अधिकारी निदेशालय।
9. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
10. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
11. अधीक्षक, केद्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी